उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या — /2016/XXVII(9)/स्टाम्प–40/2010
देहरादूनः दिनांकः 01 अगस्त, 2016

अधिसूचना

आदेश

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 27, 47–क एवं 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997, (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में नियम /उपनियम 3 (क) (1), 3 (छ)(2) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप–नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेगें, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप–नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम**
3 (क) (1) (3) (छ)(दो)– वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/ नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित वाणिज्यिक भवन की प्रति वर्गमीटर न्यूनतम दर, जिसमें वाणिज्यिक भवन की भूमि एवं भवन के किराये की दर सम्मिलित होगी तथा जिसके आधार पर किराये की दर निकाली जाती है, का सूत्र निम्नवत् होगा:–	3 (क) (1) (3) (छ)(दो)– वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य को केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित/नियत (यथासंशोधित अनुमोदित/ नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित वाणिज्यिक भवन की प्रति वर्गमीटर न्यूनतम दर जिसमें वाणिज्यिक भवन की भूमि एवं भवन के किराये की दर सम्मिलित होगी तथा जिसके आधार पर किराये की दर निकाली जाती है, का सूत्र निम्नवत् होगा:–

क्रमशः..2

(दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर)–
(अकृषि भूमि की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर X 2)
300

(दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर)–
(अकृषि भूमि की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर X 1.10)
300

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 167 (1)/2016/XXVII(9)/स्टाम्प–40/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।